महत्वपूर्ण

संख्या-9/2018/1019/60-3-2018-4(सा0)/18

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,
उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 दिनांकः लखनऊः 26 जून, 2018

विषयः-विभाग की संस्थाओं में निवासरत कक्षा-10 एवं कक्षा-12 में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण संवासियों/संवासिनियों को पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, महिला कल्याण के संलग्न पत्र संख्या-525-28/निदे0म0क0/प्रोबे0/पुरस्कार/2018-19, दिनांक 12.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें महिला कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-977/60-3-2018, दिनांक 11.06.2018 के अनुक्रम में 34 नामों की सूची में से 02 नामों को हटाते हुये अवशेष 32 प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण संवासियों/संवासिनियों को पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि 34 बच्चों की सूची में से क्रम संख्या-28 पर अंकित बलवन्त पुत्र श्री जयराम निषाद, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), बस्ती का नाम त्रुटिवश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अंकित हो गया है तथा क्रम संख्या-20 पर अंकित सुशील कुमार, पुत्र श्री गुलाब चन्द्र, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), वाराणसी के तृतीय श्रेणी में उत्तीण होने के कारण उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जाना है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व प्रेषित 34 संवासियों/संवासिनियों की सूची से अनुपयुक्त 02 को छोड़ते हुये 32 लाभग्राही के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 17 संवासियों/संवासिनियों को रू0-51,000/- (प्रत्येक को) तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण 15 संवासियों/संवासिनियों को रू0-21,000/- (प्रत्येक को) की दर से कुल रू0-11,82,000/- (रूपये ग्यारह लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि महिला एवं बाल सम्मान कोष से उक्त पुरस्कार के निमित्त निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-10-उ0प्र0 महिला सम्मान कोष-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1019 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वरिष्ठ वित्त सलाहकार, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।